संख्या- 116 /2026 / 979 /चार-2026-1799300

प्रेषक,

मनोज कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग **लखनऊः दिनांक: 29 मार्च, 2026**

विषय :- जनपद-बाराबंकी में अन्तर्राष्ट्रीय हाकी खिलाड़ी पद्मश्री बाबू के0डी0 सिंह के पैतृक आवास को स्मृति संग्रहालय बनाये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1288/उ0प्र0सं0नि0- (155)/2024-25 दिनांक 25 मार्च, 2026 तथा परियोजना प्रबन्धक, यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, यूनिट-14, लखनऊ के पत्र सं0 2266/पी0सी0एल0/परि0प्र0-14 दिनांक 23.03.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि शासनादेश सं0 194/2025/1008/चार-2025-1799300 दिनांक 30.03.2025 द्वारा जनपद-बाराबंकी में अन्तर्राष्ट्रीय हाकी खिलाड़ी ''पद्मश्री'' बाबू के0डी0 सिंह के पैतृक आवास को स्मृति संग्रहालय बनाये जाने हेतु रू0 898.27 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की स्वीकृत है। कुल प्रशासकीय स्वीकृति धनराशि रू0 898.27 लाख के सापेक्ष ए0वी0आर0 कक्ष एवं बाट आउट आइटम के कार्य (242.52 लाख) को छोड़ते हुये शेष कार्य हेतु किये गये अनुबंध के आधार पर निम्नानुसार विवरण उपलब्ध कराते हुए अवशेष धनराशि रू0 155.75 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है:-

क्र0	विवरण	धनराशि
1	अनुबन्ध की धनराशि	508.34 लाख
2	सेन्टेज की धनराशि	50.83 लाख
3	लेबर सेस की धनराशि	5.08 लाख
4	जी0एस0टी0 की धनराशि	91.50 लाख
	कुल योग	655.75 लाख

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार जनपद-बाराबंकी में अन्तर्राष्ट्रीय हाकी खिलाड़ी ''पद्मश्री'' बाबू के0डी0 सिंह के पैतृक आवास को स्मृति संग्रहालय बनाये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में **रू0 155.75 लाख (रू0 एक करोड़ पचपन लाख पचहत्तर हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

शर्तें/ प्रतिबंध

(1) शासनादेश संख्या- 194/2025/1008/चार-2025-1799300 दिनांक 30.03.2025 में उल्लिखित शर्तें यथावत् रहेंगी।

(2) स्वीकृत धनराशि के आहरण व्यप एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय व्ययक) अनुभाग 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक 27-मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जायेगा। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(4) उक्त स्वीकृति संस्कृति निदेशालय / कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था का होगा।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि के संबंध में वित्त विभाग के मितव्ययिता संबंधी आदेशों तथा व्यय पर नियंत्रण के संबंध में निर्गत शासनादेशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) कार्यदायी संस्था द्वारा जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी से अब तक हुये कार्य की हस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्रति शासन एवं संस्कृति निदेशालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

(7) धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था-यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन के बैंक खाते में उपलब्ध करायी जायेगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय **रुपये 1,55,75,000.00 (रुपये एक करोड़ पचपन लाख पचहत्तर हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 092 **लेखा शीर्षक** 4202048002000 जनपद बाराबंकी में "पदम श्री" बाबू के.डी. सिंह के पैतृक आवास को संग्रहालय के रूप में विकसित किया जाना **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक-27-मार्च, 2025 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
3-जिलाधिकारी, बाराबंकी।
4-निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र० प्रयागराज।
5-प्रबंध निदेशक, यू०पी० प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि०, (यू०पी०पी०सी०एल०), लखनऊ।
6-मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7-आहरण एवं वितरण अधिकारी संग्रहालयाध्यक्ष, लोक कला संग्रहालय, लखनऊ।
8- परियोजना प्रबंधक, यू०पी० प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि०, निर्माण इकाई- 14, लखनऊ। ई-मेल- uppcl.pm14@gmail.com
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ०प्र० शासन।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।